**भारत सरकार**

**कृषि मंत्रालय**

**कृषि एवं सहकारिता विभाग**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 1106**

**16 अगस्‍त, 2013 को उत्‍तरार्थ**

**जैव कृषि को बढ़ावा दिया जाना**

1106. श्री अविनाश राय खन्नाः

**क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) सरकार देश में जैव कृषि को बढ़ावा देने के लिए क्या-क्या कदम उठा रही है;

(ख) कितने भू-क्षेत्र पर जैव कृषि की जा रही है;

(ग) जैव कृषि के क्या-क्या फायदे हैं;

(घ) सरकार जैव कृषि हेतु कितनी धनराशि आवंटित किए जाने की योजना बना रही है,

तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार उन किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी जिन्होंने उर्वरकों आदि

पर दी जाने वाली राजसहायता की बचत की है, यदि हां, तो कितनी?

**उत्‍तर**

**कृषि एवं खाद्य प्रसंस्‍करण उद्योग मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री तारिक अनवर)**

(क) सरकार विभिन्‍न योजनाओं जैसे राष्‍ट्रीय जैविक कृषि परियोजना ((एनपीओएफ), राष्‍ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम), उत्‍तर पूर्वी तथा हिमालयी राज्‍यों के लिए बागवानी मिशन (एचएमएनईएच), राष्‍ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के जैविक कृषि पर नेटवर्क परियोजना के माध्‍यम से जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है । एनएचएम, एचएमएनईएच तथा आरकेवीवाई योजनाओं के तहत कलस्‍टरों में कृषि भूमि को अपनाने तथा पंजीकरण एवं जैविक आदान उत्‍पादन इकाइयों की स्‍थापना के लिए राज्‍यों को सहायता प्रदान की जा रही है ।

(ख) वर्ष 2012-13 के दौरान जैविक प्रमाणीकरण (कृषि तथा वन्‍य क्षेत्र) के तहत भूक्षे

३त्र 5.21 मिलियन हैक्‍टेयर है ।

(ग) जैविक कृषि के लाभों का विवरण निम्‍नलिखित है :

1. पर्यावरण अनुकूल तथा लाभदायक
2. तंत्र के भीतर जैविक विविवधता में संवर्धन
3. मृदा जैविक गतिविधियों को बढ़ावा
4. दीर्घावधि मृदा उर्वरता को बनाए रखना

(घ) 2013-14 के दौरान एनपीओएफ, एनएचएम तथा आईसीएआर के तहत आवंटित राशि क्रमश: 427.00 लाख रू., 1215.50 लाख रू. तथा 120.00 लाख रू. थी ।

-2-

(ड.) एनपीओएफ के तहत उर्वरकों पर दी जाने वाली राजसहायता की बचत करने वाले किसानों को सीधे वित्‍तीय सहायता प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है तथापि एनएचएम के तहत निम्‍नलिखित सहायता प्रदान की जा रही हैं :

1. बागवानी फसलों में जैविक कृषि को अपनाने के लिए अधिकतम 4 हैक्‍टेयर क्षेत्र के लिए 10,000 रू. प्रति हैक्‍टेयर की दर से प्रति लाभार्थी निधि प्रदान की जाती है ।
2. वर्मी कम्‍पोस्‍ट इकाई की स्‍थापना के लिए लागत के 50 प्रतिशत की दर से अधिकतम 30,000 रू. प्रति लाभार्थी की सहायता भी प्रदान की जा रही है ।
3. जैविक खेती प्रमाणीकरण के लिए 50 हैक्‍टेयर के क्षेत्र को कवर करने वाले कृषक समूह को 5.00 लाख रू. की दर से सहायता प्रदान की जा रही है ।

उपर्युक्‍त के अलावा एनपीओएफ के तहत सरकार निम्‍नलिखित के लिए आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है :

1. फल /सब्‍जी बाजार अपशिष्‍ट / कृषि अपशिष्‍ट कम्‍पोस्‍ट इकाइयों की स्‍थापना के लिए नाबार्ड के माध्‍यम से 60 लाख रू. तक सीमित 33 प्रतिशत की पार्श्‍वांत राजसहायता के रूप में जैविक आदान उत्‍पादन इकाइयों तथा
2. 40.00 लाख रू. तक सीमित 25 प्रतिशत राजसहायता से जैव उर्वरक /जैव कीटनाशी उत्‍पादन इकाईयों की स्‍थापना ।

\*\*\*\*\*\*\*